बिहार सरकार
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक......................../ संoसंo–02/ध्यानाकर्षण सूचना–10/02/2024

प्रेषक,

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

संयुक्त सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना
उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

अतिआवश्यक

पटना, दिनांक............................

विषय :– **श्री तरूण कुमार, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद् के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ज्ञापांक–162/2024 के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि श्री तरूण कुमार, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद् का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मुख्य रूप से आपके विभाग से संबंधित है। अतएव इसकी छायाप्रति संलग्न कर हस्तांतरित करते हुए अनुरोध है कि इस संबंध में वक्तव्य तैयार कर विधान परिषद् सचिवालय को भेजते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विदित हो कि विषयांकित ध्यानाकर्षण हेतु सरकार द्वारा सदन में वक्तव्य दिए जाने की तिथि 25.07.2024 निर्धारित है। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

उद्योग निदेशक, 24/7/24
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–........................ दिनांकः–..........................

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उद्योग निदेशक, 24/7/24
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–........................ दिनांकः–..........................

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक के निजी सहायक/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–02 (स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उद्योग निदेशक, 24/7/24
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–1794 दिनांकः–24/07/24

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक, 24/7/24
बिहार, पटना।

D:\Sec-08\Naresh--Ji-Latter-2021--192

18/7/24

सचिव,
बिहार विधान परिषद्

मैं 207 वें सत्र में लोकहित एवं सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की सूचना देता हूँ।

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य में सामग्री खरीद अधिमानता नीति, 2002 के अन्तर्गत सरकारी विभागों द्वारा सामग्रियों के क्रय हेतु राज्य में अवस्थित एवं निबंधित उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्री को बाहर के उद्योगों की तुलना में प्राथमिकता एवं अधिमानता दिये जाने का प्रावधान है। राज्य की उद्योग नीति के अनुसार राज्य में कार्य हेतु आवश्यक मात्रा का 15 प्रतिशत सामग्रियों का क्रय बिहार राज्य के प्रोडक्ट डायरेक्टरी में निबंधित, अवस्थित औद्योगिक इकाइयों से कराना आवश्यक है। इसी नीति के तहत प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार के पत्रांक - 3457, दिनांक - 27.08.2015 के द्वारा स्थानीय निर्माता कम्पनी से बिटुमिन एवं इमल्सन के क्रय हेतु कार्य विभागों यथा- पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार को पत्र प्रेषित किया गया परन्तु विगत 09 वर्षों में कोई फलाफल सामने नहीं आया। इस प्रकार राज्य में अवस्थित उद्योगों की उपेक्षा होती रही, तो यहां निवेशक नहीं आना चाहेंगें और जो हैं वे समाप्त हो जायेंगे। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहां स्थापित एवं निबंधित उद्योगों द्वारा उत्पादित सामाग्रियों को नियमानुसार क्रय कर के प्रोत्साहित करना चाहिए।

अतः मैं उपर्युक्त वर्णित विषय के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

162/2024

उद्योग विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार

25.07.2024

ublic
ance(Rule-
)

Notice Number	1/207/77
Asked By	Tarun Kumar
Minister	Industries
Department	Industries
Short Title	राज्य में सामग्री खरीद अधिमानता नीति, 2002 के अंतर्गत पथ निर्माण विभाग एवं अन्य कार्य विभागों द्वारा स्थानीय बिटुमिन एवं इमल्सन फैक्ट्री से बिटुमिन एवं इमल्सन क्रय करने के संबंध में।
Short Title (Local)	
Long Title	माननीय सभापति महोदय, राज्य में सामग्री खरीद अधिमानता नीति, 2002 के अन्तर्गत सरकारी विभागों द्वारा सामग्रियों के क्रय हेतु राज्य में अवस्थित एवं निबंधित उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्री को बाहर के उद्योगों की तुलना में प्राथमिकता एवं अधिमानता दिये जाने का प्रावधान है। राज्य की उद्योग नीति के अनुसार राज्य में कार्य हेतु आवश्यक मात्रा का 15 प्रतिशत सामग्रियों का क्रय बिहार राज्य के प्रोडक्ट डायरेक्टरी में निबंधित एवं अवस्थित औद्योगिक इकाइयों से कराना आवश्यक है। इसी नीति के तहत प्रधान सचिव, उद्योग विभाग बिहार के पत्रांक 3457, दिनांक - 27.08.2015 के द्वारा स्थानीय निर्माता कम्पनी से बिटुमिन एवं इमल्सन के क्रय हेतु कार्य विभागों यथा- पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार को पत्र प्रेषित किया गया परन्तु विगत 09 वर्षों में कोई फलाफल सामने नहीं आया। इस प्रकार राज्य में अवस्थित उद्योगों की उपेक्षा होती रही, तो यहां निवेशक नहीं आना चाहेगें और जो हैं वे समाप्त हो जायेंगे। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहां स्थापित एवं निबंधित उद्योगों द्वारा उत्पादित सामाग्रियों को नियमानुसार क्रय कर के प्रोत्साहित करना चाहिए। अतः उपर्युक्त वर्णित विषय के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।